International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 166-169

राष्ट्र निर्माण में राजकुमारी अमृत्त कौर का योगदान

डॉ. दिनेश कुमार गहलोत*

प्रस्तावना

राजकुमारी अमृत्त कौर का जन्म 2 फरवरी, 1889 में कपूरथला रियासत के राजा हरनामसिंह के यहाँ लखनऊ में हुआ था। वे अपने पिता की आठ संतानों में से एक मात्र पुत्री थी। उनकी माँ रानी हरनामसिंह बंगाल के गोलकनाथ चटर्जी की पुत्री थी। उनके पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। उनकी आरंभिक शिक्षा ब्रिटेन के डोरसेट शायर के शेरबोर्न स्कूल में हुई तथा उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई। उनके पिता गोपाल कृष्ण गोखले के अच्छे मित्र थे। इस कारण उनका प्रभाव राजकुमारी अमृत्त कौर पर बचपन से ही पड़ने लगा। गोखले से ही उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में सुनना शुरू किया।

गाँधी जी के प्रभाव से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन की अग्रणी नेत्री के रूप में कई बार उनकी गिरफ्तारी हुई। महिला अधिकारों के लिए स्थापित अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की वे संस्थापक सदस्य रही। 1930 में वह इसकी सचिव रही तथा 1931–33 में उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1946 में संविधान सभा में मध्यप्रांत व बरार से सदस्य के रूप में वह निर्वाचित हुई। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का दायित्व था। लगभग एक दशक तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में नये मानक स्थापित किये। स्नात्तकोत्तर अध्ययन के उच्च स्तर स्थापित करने हेतु एम्स उनका सुंदर उपहार है।

वे स्वयं खिलाड़ी थी। इसलिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद क्लब की स्थापना की। वे 1949–59 तक इसकी संस्थापक अध्यक्ष थी। खेलकूद प्रशिक्षण योजना की भी वह संस्थापक अध्यक्ष रही। वह राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान की भी अध्यक्ष रही। 1946 से 1950 तक संविधान सभा की सदस्य रही राजकुमारी अमृत्त कौर 1950–52 में अंतरिम संसद, 1952–57 में लोकसभा सदस्य (मंडी महासु – हिमाचल प्रदेश) तथा 1957–62 में राज्यसभा सदस्य रही। 6 फरवरी, 1964 को उनका निधन हुआ था। उन्हें एम्स का संस्थापक कहा जाता है।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

राजकुमारी अमृत्त कौर पर राष्ट्रवादी विचारों का स्रोत उनके पिता के मित्र गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले प्रायः उनके घर आते थे। स्वयं अमृत्त कौर ने इस बात को स्वीकारते हुए लिखा "विदेशी शासन से भारत को मुक्त कराने की मेरी उत्कृष्ट इच्छा की आग उन्होंने ही भड़काई।" (1) इंग्लैंड से अध्ययन के पश्चात भारत लौटते ही उनमें राष्ट्रीय आंदोलन के अगुआ महात्मा गांधी से मिलने व उनके साथ काम करने की उत्कंठा हुई। 1919 में उनकी गाँधी जी से बम्बई में मुलाकात हुई। यह वही समय था, जब देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चूंकि वह राजकुमारी थी, इसलिए उनका जीवन शान शौकत वाला था। आश्रम में प्रवेश हेतु सादा जीवन पहली शर्त थी। उन्होंने सभी सुविधाएं त्याग दी। बाद में उन्होंने गांधीजी की सचिव के रूप में 16 वर्ष तक कार्य किया।

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

1927 में स्थापित अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेस की वह संस्थापक सदस्य थी। 1930 में वह इसकी सचिव तथा 1933 में इसकी अध्यक्ष बनी। यह संगठन महिला अधिकारों की रक्षा, विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने का अखिल भारतीय संगठन के रूप में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के पश्चात् उन्होंने नमक सत्याग्रह/दंडी मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 1932 में घोषित कम्युनल अवार्ड का उन्होंने विरोध किया। 1937 में कांग्रेस पार्टी के मुकदमे की पैरवी करने खैबर पख्तूनवा स्थित बन्नू गई। जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कई जुलूस का नेतृत्व किया। परिणाम स्वरुप उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार कर एक बार फिर जेल भेज दिया।

संविधान निर्माण में भूमिका

1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुँचा। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही थी। जून –जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में राजकुमारी अमृत्त कौर मध्य प्रांत एवं बरार से निर्वाचित हुई। 15 अगस्त, 1947 को गठित प्रथम मंत्रि परिषद में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला।

भारतीय संविधान का निर्माण औपचारिक रूप से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। इस सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस योजना के अनुसार सभा में 389 सदस्य होने चाहिए थे। 296 अंग्रेजी प्रांत व चीफ कमिश्नरी प्रान्तों तथा 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाने थे। सभा का गठन जून –जुलाई 1946 में हुआ था। सभा में महिलाओं के लिए अलग से कोई स्थान आरक्षित नहीं थे। कल 15 महिलाओं को सभा में संविधान निर्माण का अवसर मिला था। इनमें से एक राजकुमारी अमृत्त कौर भी है।

9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। जिसमें 10 महिला सदस्य भी शामिल थी। राजकुमारी अमृत्त कौर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेशी होने के कारण सभा की इस प्रथम बैठक में शामिल नहीं हो सकी। 21 दिसंबर, 1946 को उन्होंने सभा की बैठक में भाग लेते हुए अपना परिचय पत्र जमा कराते हुए रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये। 24 जनवरी, 1947 को सभा में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कैबिनेट मिशन योजना में दी गई व्यवस्था के अनुरूप एक सलाहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। के.एम. मुंशी ने इस पर संशोधन प्रस्ताव रखते हुये उन संभावित सदस्यों के नाम रखें, जो इस सलाहकारी समिति में होंगे। इस संशोधन प्रस्ताव में संभावित सदस्यों में राजकुमारी अमृत्त कौर व हंसा मेहता का नाम भी था। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से वह सलाहकारी समिति की सदस्य बनी।

24 जनवरी, 1947 को सभा में बजट पर चर्चा हुई। सभा के बजट पर चर्चा के दौरान राजकुमारी अमृत्त कौर ने भी भाग लिया। अमृत्त कौर स्वयं कांग्रेस से ही सभा में सदस्य थी। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह बहुमत के विरोध में कोई संशोधन नहीं रखना चाहती है, लेकिन विरोध में अपना वक्तव्य दर्ज करवाना चाहती है। उन्होंने अध्यक्ष से निवेदन किया कि सचिवालय के खर्चे में कमी करनी चाहिये। लेकिन बजट में अधिकतम और न्यूनतम वेतन दरों में अंतर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट तौर पर उद्देश्य प्रस्ताव के विपरीत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभा के सदस्यों को अपने भत्ते व मानदेय में कमी करें। उन्होंने स्वयं भी अपना मानदेय काम करने का निवेदन करते हुए अध्यक्ष से कहा कि "महोदय, हमें आशा है कि आप उन व्यक्तियों को 30 रूपये भत्ता लेने की स्वीकृति देंगे जो इतना ही लेना चाहे।" (2) ज्ञातव्य है कि बजट में यह भत्ता 45 रुपये निर्धारित किया गया था।

संविधान सभा में राजकुमारी अमृत्त कौर अधिक नहीं बोली। लेकिन वह कई महत्वपूर्ण समितियों व उप समितियों की सदस्य थी। वह मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक तथा जनजातियों पर सलाहकारी समिति की सदस्य थी। इस समिति में उनके साथ हंसा मेहता, दक्षायणी वेलायुद्धन व सुचिता कृपलानी भी सदस्य थी। इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों पर गठित उप समिति में भी वह हंसा मेहता के साथ सदस्य थी। एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता वाली अल्पसंख्यक उपसमिति में वह एकमात्र महिला सदस्य थी। प्रांतीय संविधान पर गठित समिति में भी वह हंसा मेहता के साथ सदस्य थी।

इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजकुमारी अमृत्त कौर ने भी संविधान निर्माण के यज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण आहुति दी थी। वह सभा में भले ही कम बोली हो, लेकिन विभिन्न समितियों व उपसमितियों की सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण आगत प्रदान किये।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में

राजकुमारी अमृत्त कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का दायित्व दिया गया। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये मापदंड स्थापित किये। वे लगभग एक दशक तक स्वास्थ्य मंत्री रही। स्वतंत्रता के समय देश की गरीबी, रोगों की वजह से उच्च मृत्युदर, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव जैसी स्थितियों में राजकुमारी अमृत्त कौर का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में होना किसी उपहार से काम नहीं था। उन्हें अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, दिल्ली का संस्थापक कहा जाता है। इस प्रकार के संस्थान की स्थापना की अनुशंसा स्वतंत्रता पूर्व सर जोसेफ मोरे की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। लेकिन धन के अभाव में यह अनुशंसा मूर्तरूप नहीं ले सकी। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अमृत्त कौर ने न केवल इस हेतु संसद से विधेयक पारित करवाया बल्कि अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इसके लिये धन की व्यवस्था भी की। न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत पहचान द्वारा 10 लाख पौंड बाद में 1 लाख पौंड अतिरिक्त सहायता लेकर उन्होंने एम्स स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार से 80 हजार पौंड प्राप्त किये। अमेरिका आदि देशों से भी उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों से चंदा लेकर एम्स जैसी संस्थान भारतीयों को प्रदान की। यही नहीं, अपने निधन से पूर्व शिमला स्थित अपने घर को भी एम्स के डॉक्टरों व नर्सो के लिये 'होलीडे होम' के रूप में विकसित करने हेतु भारत सरकार को दे दिया।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य सेवा योजना (सी.जी.एच.एस.) और कर्मचारी राज्य बीमा योजना उन्हीं के कार्यकाल में आरम्भ की गई। उन्हें भारत में मलेरिया जैसी बीमारी के उन्मूलक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने इसके उन्मूलन हेतु अभियान चलाया था। वह भारतीय बाल कल्याण परिषद की संस्थापक थी और उसके अध्यक्ष भी रही। वह भारतीय कृष्ठ रोग संघ तथा क्षयरोग संघ की भी अध्यक्ष रही। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी अध्यक्ष रही।

एम्स की स्थापना भारत के लिए राजकुमारी अमृत्त कौर का सुंदर उपहार है। उन्होंने इस पर विधेयक रखते हुए लोकसभा में कहा "मैंने सपना संजोया था कि हमारे देश में स्नात्तकोत्तर अध्ययन के लिए और चिकित्सा शिक्षक का उच्च स्तर बनाये रखने के लिये भारत में इस प्रकार का एक संस्थान हो। जहाँ हमारे युवक–युवतियों को स्वदेश में ही उसे आवश्यक अनुभव के साथ अपनी पृष्ठभूमि में स्नात्तकोत्तर शिक्षा मिल सके।" (3) उन्होंने स्पष्ट कहा कि विश्व के अन्य भागों में हो रहे व्यापक और सतत् विकास से भारत अलग नहीं रह सकता है। उन्होंने विधेयक रखते हुए यह भी कहा कि चीन भी भारत की तरह इस प्रकार का संस्थान अपने देश में स्थापित करने का इच्छुक है। विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित करते हुए उनके द्वारा दिया गया उद्बोधन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी रुचि, अनुभव व प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। अपने इस उद्बोधन में उन्होंने एम्स जैसी संस्था की भारत में आवश्यकता, उसकी स्वायत्तता, वित्तीय प्रबंधन आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। भारतीय गाँवों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के बारे में उन्होंने सुंदर टिप्पणी करते हुये कहा "मैं गांव को सर्वोत्तम देखना चाहती हूँ। मैं तो यह चाहती हूँ कि गाँव के लोगों को मुक्त से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिये, क्योंकि उनके बीमार पड़ने की संभावनायें मेरे से अधिक है।" (4)

इस प्रकार से हम देखते हैं की राजकुमारी अमृत्त कौर ने स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्मात्री एवं भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकुमारी होने के बावजूद सभी सुख सुविधायें छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका प्रेरणादायी है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कार्य व एम्स जैसी संस्था की स्थापना उनकी दुरगामी सोच का ही परिणाम है। आज एम्स भारत में मेडिकल क्षेत्र में शोध की उत्कृष्ट संस्थान है। मेडिकल के विद्यार्थियों के लिये एम्स में प्रवेश लेना सपने की तरह है। राजकुमारी अमृत्त कौर ने न केवल एम्स का सपना देखा, बल्कि उसकी स्थापना कर भारत में चिकित्सा क्षेत्र में शोध की महत्वपूर्ण नींव भी रखी। उन्हें एम्स का संस्थापक कहना समुचित ही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजकुमारी अमृत्त कौर – जीवनवृत्त; सुविख्यात सांसद मोनोग्राफ सीरीज, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ संख्या – 2
2. भारतीय संविधान सभा के विवाद की सरकारी रिर्पोट; लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2015, द्वितीय संस्करण, 24 जनवरी, 1947, पृष्ठ संख्या – 17
3. राजकुमारी अमृत्त कौर – जीवनवृत्त; पृष्ठ संख्या – 136
4. वही, पृष्ठ संख्या – 167

❖◆❖